# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 4097–पीबीआर / 2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत–दो, तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 130 / अ–12 / 2015–16.

.............

1–एच.एम.प्रोटीन्स लिमिटेड,
द्वारा : संचालक हर्षद मेहता आत्मज स्व0श्री प्राणलाल मेहता
कार्यालय एच–31 निशात कालोनी,
भोपाल
2–रंजन मेहता पत्नी श्री हर्षद मेहता
3–केतन मेहता आत्मज श्री हर्षद मेहता
दोनों निवासी एच 18 निशात कालोनी,
भोपाल

......... आवेदकगण

विरूद्ध
1–संजीव गौर आत्मज श्री कैलाश गौर
2–कपिल गौर आत्मज श्री छोटेलाल
3–सर्वेश गौर आत्मज श्री लालजी गौर
4–राजेश गौर आत्मज किशोरीलाल गौर
सभी निवासी ग्राम मालीखेड़ी तहसील हुजूर,
जिला भोपाल

.....................अनावेदकगण

............

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री संदीप माहेश्वरी, अभिभाषक–अनावेदकगण

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 9/8/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत–दो, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम सूखी सेवानिया तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 474 रकबा 0.740 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 17–8–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नक्शा त्रुटिपूर्ण है और उसे बिना दुरूस्त कराये प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनियमित है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया जाकर अन्य व्यक्ति से कराया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नही किया गया है ।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के समय पुराना एवं नया नक्शा पेश किया गया था और बतलया गया था कि नक्शे में त्रुटि है, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किय गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन मौके पर टोटल मशीन से किया गया है जबकि टोटल मशीन से सीमांकन किये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये थे । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् स्थायी सीमांकन चिन्हों से सीमांकन किया गया है और आवेदकगण की ओर से यह निगरानी संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही को रोकने के लिये यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि पर फेंसिंग लगी है और आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदकगण की भूमि कम हुई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के प्रतिनिधि सीमांकन के समय उपस्थित रहे हैं ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, क्योंकि सीमांकन से आवेदकगण के हित प्रभावित नहीं हुये हैं, अतः यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत–दो, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 4098–पीबीआर / 2016, निगरानी प्रकरण कमांक 4099–पीबीआर / 2016 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 4100–पीबीआर / 2016 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर